प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.06.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस तथा 01 तंमचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना की रैकी में प्रयुक्त एक स्कार्पियो कार व थाना टीलामोड़ क्षेत्र में हुई लूट की घटना से सम्बन्धित 7,50,000/- रूपये नकद बरामद ।

आज दिनांक 15.06.2025 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के द्वारा फर्रूखनगर रोड़ पर पीपल तिराहे के पास थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना कारित करने वाले वाँछित अभियुक्तगण स्कार्पियो गाड़ी से मेरठ जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके आधार पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टीलामोड़ की तरफ से तेजी से आ रही काले रंग की स्कार्पियो कार को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया तो स्कार्पियो चालक द्वारा स्कार्पियो को बायी ओर राजपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया। जिसके क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा रूकने का इशारा किया गया और न रुकने पर पुलिस पार्टी द्वारा स्कार्पियो का पीछा किया तो स्कार्पियो चालक ने गाड़ी को बायी तरफ जंगल की ओर मोड़ दिया लेकिन आगे रास्ता बन्द होने के कारण चालक ने स्कार्पियो को रोक दिया और दो व्यक्ति स्कार्पियो से तेजी से उतरे और दोनों ने अपने अवैध शस्त्र को निकालकर पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुये जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गयी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गये। दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अंकित पुत्र राजू निवासी घिटौरा थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम कार्तिक पुत्र संजय निवासी घिटौरा थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष बताया गया। जिनके कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस तथा 01 तंमचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना की रैकी में प्रयुक्त एक स्कार्पियो कार व थाना टीलामोड़ क्षेत्र में हुई लूट की घटना से सम्बन्धित 7,50,000/- रूपये नकद बरामद किये गए। गिरफ्तार दोनों घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल भिजवा दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि घायल दोनों अभियुक्तों ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर दिनांक 10.06.2025 को ओक्सी होम सोसाइटी के सामने सड़क पर थाना क्षेत्र टीलामोड़ में स्टाम्प विक्रेता के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। जिसमें दोनों अभियुक्त वाँछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

* अंकित पुत्र राजू निवासी घिटौरा थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष।
* कार्तिक पुत्र संजय निवासी घिटौरा थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

* 01 पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस तथा 01 तंमचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना की रैकी में प्रयुक्त एक स्कार्पियो कार व थाना टीलामोड़ क्षेत्र में हुई लूट की घटना से सम्बन्धित 7,50,000/- रूपये नकद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

* गिरफ्तार अभियुक्त अंकित पुत्र राजू के विरूद्ध जनपद बागपत में हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
* गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक पुत्र संजय के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ट्रांस हिडंन जोन व थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत स्टाम्प विक्रेता से लूट की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मयूर जग, 01 लंच बॉक्स, लैफटॉप के जले हुए टुकड़े, घटना में प्रयुक्त 01 बलैनो कार व स्टाम्प विक्रेता से लूट की घटना से सम्बन्धित 2,60,000/- रुपये नकद तथा कुल लूट की घटना से सम्बन्धित 10,10,000/-रुपये नगद बरामद।

दिनांक 10.06.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी विशाल गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत ऑक्सीहोम के सामने बिना नम्बर की बलैनो गाड़ी में से दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मुँह बाँधकर अवैध असलाह व डण्डे के साथ मेरी गाडी पर हमला कर व मेरी कनपटी पर असलाह रखकर मेरे पास से एक बैग जिसमें जरूरी दस्तावेज व 15 लाख रुपये थे को लूटकर भौपुरा की तरफ भाग गए। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटनाक्रम में दिनांक 14.06.2025 को स्वॉट टीम ट्रांस हिडंन जोन व थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत स्टाम्प विक्रेता से लूट की घटना कारित करने वाला दीपक पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को हिण्डन पुल फरुखनगर से 01 मयूर जग, 01 लंच बॉक्स, लैफटॉप के जले हुए टुकड़े, घटना में प्रयुक्त 01 बलैनो कार व स्टाम्प विक्रेता से लूट की घटना से सम्बन्धित 2,60,000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र कमल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 309(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 14/15.06.2025 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा थाना टीलामोड़ क्षेत्रान्तर्गत स्टाम्प विक्रेता से लूट की घटना कारित करने वाले मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 02 अभियुक्त 1. अंकित पुत्र राजू निवासी घिटौरा थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष व 2. कार्तिक पुत्र संजय निवासी घिटौरा थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष को फरूखनगर रोड़ पर पीपल तिराहे के पास से 01 पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस तथा 01 तंमचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना की रैकी में प्रयुक्त एक स्कार्पियो कार व थाना टीलामोड़ क्षेत्र में हुई लूट की घटना से सम्बन्धित 7,50,000/- रूपये नकद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित पुत्र राजू व कार्तिक पुत्र संजय उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र कमल सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त दीपक, अंकित, कार्तिक उपरोक्त व राजेश पुत्र सतपाल निवासी कैमराला थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर(फरार) घटना में संलिप्त चारों अभियुक्त आपस में दोस्त है। जिसमें से कार्तिक तहसील लोनी में हैप्पी बंसल वकील के पास मुंशी का काम करता है। हम सब लोगों को पैसे की आवश्यकता पडी तो कार्तिक ने हमें बताया कि तहसील लोनी में ही स्टाम्प विक्रेता विशाल गुप्ता का काफी अच्छा काम है जो शाम को काफी मोटा पैसा लेकर अपनी वैग्नार कार से गाजियाबाद अपने घर जाता है। चारों अभियुक्तों ने तहसील लोनी के स्टाम्प बिक्रेता विशाल गुप्ता को लूटने की योजना बनायी। रैकी का काम कार्तिक को सौंपा गया कई दिन तक राजेश, दीपक तथा अंकित भी तहसील लोनी में अंकित की बिना नम्बर की काली स्कार्पियो से गये थे तथा विशाल गुप्ता की रैकी की थी। जब अभियुक्तों यह विश्वास हो गया कि विशाल गुप्ता का काम काफी अच्छा है। उसके पास काफी मोटा पैसा मिलेगा तो अभियुक्तों ने अपनी योजना को फाइनल कर दिया और दिनांक 10.06.2025 को विशाल गुप्ता को लूटने की तय हुई। इस काम के लिए अभियुक्तों को एक गाडी की आवश्यकता थी तो कार्तिक व राजेश ने गाडी का इन्तजाम करने की जिम्मेदारी दीपक को दी। योजनानुसार दीपक ने दिनांक 10.06.2025 को दोपहर में अपने जानने वाले राहुल पुत्र फिरेराम निवासी ग्राम शकलपुरा थाना लोनी गाजियाबाद से फोन पर सम्पर्क कर हरिद्वार जाने के लिए शाम तक के लिए गाडी मांगी राहुल ने हां कर दी तो दीपक तथा अंकित ग्राम शकलपुरा से राहुल की बलैनो कार ले आये और इसी बलैनो कार से तहसील लोनी गये। राजेश व कार्तिक दोनों अभियुक्तों को वही पर मिले चारों अभियुक्त गाडी खडी करके विशाल गुप्ता के घर के लिए निकलने का इंतजार करने लगे। विशाल गुप्ता के घर के लिए निकलते ही कार्तिक ने अपने अन्य साथियों को इशारा किया और चारों अभियुक्तों ने इसी बलैनो कार से विशाल गुप्ता की वैग्नार कार का पीछा किया तथा मौका लगने पर चारों अभियुक्तों ने शाम के समय आक्सीहोम सोसायटी के सामने विशाल गुप्ता की वैग्नार कार के आगे अपनी बलैनो कार लगा दी। कार को अंकित चला रहा था। दीपक तथा राजेश गाडी से नीचे उतरे वैग्नार कार में विशाल गुप्ता के साथ उनके यहां काम करने वाले पप्पू व प्रीति भी थे। राजेश के हाथ में पिस्टल व फावडे का बैट तथा दीपक के हाथ मे तमंचा था राजेश ने बैटे से विशाल गुप्ता की कार के शीशा तोड़ दिया और दीपक ने विशाल गुप्ता की कनपटी पर तमंचा रख दिया। राजेश ने पिछली सीट पर बैठी प्रीति को पिस्टल दिखाकर कार की पिछली सीट से एक मयूर जग व एक लैपटाप बैग तथा एक बैग लूट कर बलैनो कार से ही भाग गये थे। चारों अभियुक्तों ने लूटे हुए पैसों को आपस में बाँट लिया। जिसमें दीपक को 3,70,000 रूपये मिले। फावडे का बैट, मयूर जग व लंच

बाक्स को अभियुक्तों ने जंगल की झाडियों में फेंक दिया तथा लैपटाप को तोड़कर मिले कागजों सहित जला दिया। बलैनो कार टूट जाने के कारण दीपक ने अपना फोन बन्द कर दिया ताकि राहुल को इसकी जानकारी न हो। पिस्टल अंकित का था व तंमचा कार्तिक का था। अभियुक्तों ने बलैनो को सही कराने के लिए मेरठ किसी मिस्त्री के यहां पर छोड़कर तथा स्कार्पियो से दीपक, अंकित व कार्तिक वही से जयपुर की तरफ जाने की बात हुई। दीपक बलैनो को मेरठ छोड़ने जा रहा था कि पकडा गया और दीपक के पास से बलैनो कार व स्टाम्प विक्रेता से लूट के बचे हुए 2,60,000/-रूपये बरामद हुए। उक्त घटना में अबतक 10,10,000/- रुपये बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

01 मयूर जग, 01 लंच बॉक्स, लैफटॉप के जले हुए टुकड़े, घटना में प्रयुक्त 01 बलैनो कार व स्टाम्प विक्रेता से लूट की घटना से सम्बन्धित 2,60,000/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र कमल सिंह उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वॉट टीम ट्रांस हिडंन जोन व थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 14.06.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मुकुल उर्फ मुकेश द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचा से फायर कर हमला करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धारा-109(1) बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.06.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मुकुल उर्फ मुकेश पुत्र स्व0 रामकला निवासी सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को पहलवान ढाबे के पास चिरौडी रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर व 01 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि कल मेरा अपने गांव के लख्मी नामक व्यक्ति के साथ झगडा हो गया था, इसी के चलते मैंने गुस्से में आकर लख्मी पर तमंचा से फायर कर हमला कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मुकुल उर्फ मुकेश पुत्र स्व0 रामकला निवासी सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष **बरामदगी का विवरण-**

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर व 01 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टलनुमा कार्बाइन व 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

आज दिनांक 15.06.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त हर्ष पुत्र गौतम कुमार निवासी म0 न0 –D2/337 नन्दनगरी उत्तरी दिल्ली उम्र 26 वर्ष को बन्थला फ्लाई ओवर के नीचे रेलवे पटरी के पास चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टलनुमा कार्बाइन व 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि सहाब मेरा अपने पडोसी के साथ झगडा हो गया था, इसलिये मैं अपना रौब दिखाने के लिए यह अवैध देशी पिस्टल अपने पास रख ली थी, इसका कोई लाइसेन्स मेरे पास नहीं हैं इसे लेकर में कही जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

हर्ष पुत्र गौतम कुमार निवासी म0 न0 –D2/337 नन्दनगरी उत्तरी दिल्ली उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अवैध एक देशी पिस्टलनुमा कार्बाइन जिसकी कुल लम्बाई एक बालिस्त 03 अंगुल जिसकी मैग्जीन छमता 30 राउण्ड व 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 15.06.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सुहैल पुत्र सरफराज निवासी मौहल्ला तेलियान सरना वाली गली थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष को बम्बा रोड प्रीत विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं उक्त चाकू को लेकर चोरी की फिराक में घूम रहा था और आवश्यकता पडने पर भय दिखाने के लिए चाकू अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त सुहैल पुत्र सरफराज निवासी मौहल्ला तेलियान सरना वाली गली थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व कुल 650 रुपये, 28 सफेद कागज व एक स्टेपलर बरामद।

आज दिनांक 15.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त राहुल पुत्र राम धुन निवासी 31ए गली नं0 13 फेस 2 कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध 01 किलो 100 ग्राम गांजा व कुल 650 रुपये, 28 सफेद कागज व एक स्टेपलर सफेद रंग का बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे गांजा खरीद कर लाया था और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को गांजे की पुडिया बनाकर बेच रहा था ये जो रुपये मुझसे बरामद हुए हैं ये गांजे की पुडिया बेचकर प्राप्त हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

राहुल पुत्र राम धुन निवासी 31ए गली नं013 फेस 2 कृष्णा विहार थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व कुल 650 रुपये, 28 सफेद कागज व एक स्टेपलर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।